उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–188/ग्यारह–9(1)/2008–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(110)–2014
लखनऊ::दिनांक:: 12 फरवरी, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 13 फरवरी, 2014 से, समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–2757/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश–(31)–2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 11 की प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात:–

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
12.	**कार्बन ब्लैक फीड स्टाक (सी0बी0एफ0एस0)**	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
13.	**बिटुमिन**	माल के मूल्य का दो प्रतिशत

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।